न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : अंशदीप, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 12/2011

प्रार्थी—

आईदानसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह जाति राजपुरोहित निवासी सवाईपुरा तहसील शिव जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण—

1. ग्राम पंचायत शिव जरिये सरपंच ग्राम पंचायत शिव जिला बाड़मेर
2. दलित वर्ग संघ छात्रावास शिव जरिये—
   श्री टीकमाराम पुत्र विरधाराम जाति मेघवाल निवासी बीसु कला हाल निवासी शिव जिला बाड़मेर
   श्री किसनाराम पुत्र रागाराम जाति मेघवाल निवासी फोगेरा हाल निवासी शिव तहसील शिव जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 137 दिनांक 02.10.1981 जो अप्रार्थी सं. 2 दलित वर्ग संघ के नाम अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत शिव द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :—

1. श्री, पुरूषोतमदास सोनी, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री अम्बालाल जोशी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं 1 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।

निर्णय

दिनांक : 27/11/2019

1. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत शिव द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे राजस्थान पंचायत सामान्य नियम, 1961 के नियम 266 के तहत ग्राम शिव मे ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का विक्रय विलेख सं. 137 दिनांक 02.10.1981 को जारी किया गया। ग्राम पंचायत शिव द्वारा इस पट्टा विलेख को जारी करने मे राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना नही किये

जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

2. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत शिव द्वारा पट्टा सं. 137 राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157ख के तहत जारी किया जाना लिखा हैं, उक्त नियम के अनुसार जिस व्यक्ति के पक्ष में पट्टा जारी किया जाता है उस व्यक्ति का उस मकान/भूखण्ड पर बहुत पुराना कब्जा होना चाहिए, किन्तु वादग्रस्त भूखण्ड पर अप्रार्थी सं. 2 का कभी आधिपत्य नहीं रहा है। उक्त भूमि पर प्रार्थी व अन्य व्यक्तियों के रहवासी मकानात बने हुए थे एवं भूमि खाली नहीं थी। अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में पट्टा जारी करने का आधार दलित वर्ग संघ की छात्रावास होना बताया हैं जबकि मौके पर न तो कोई छात्रावास बनी हुई थी और न ही आज दिन तक छात्रावास का निर्माण किया गया हैं। कुछ व्यक्तियों द्वारा तत्कालीन सरपंच से मिलकर ग्राम पंचायत की आबादी भूमि को हड़प करने की साजिश के तहत उक्त पट्टा निःशुल्क जारी करवाया गया हैं जबकि ग्राम पंचायत को निःशुल्क पट्टा देने का अधिकार नही था। ग्राम पंचायत शिव के कार्यालय में उक्त पट्टा जारी करने से सम्बन्धित कोई अभिलेख मौजूद नहीं हैं। आलौच्य पट्टा विलेख को देखने से यह फर्जी एवं कूटरचित होना प्रतीत होता हैं क्योंकि इसमें कई जगह कांट–छांट एवं ओवर राईटिंग हैं। उक्त पट्टे के अधीन कुल भूखण्ड 350 गुणा 200 फुट दर्शाया जाकर निःशुल्क जारी किया गया हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायत शिव द्वारा विधिक प्रावधानों की अनदेखी करते हुए उक्त पट्टा जारी किया गया है जो काबिल निरस्त हैं।

3. अप्रार्थी सं. 2 ने निगरानी प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत शिव द्वारा आलौच्य पट्टे वाली भूमि सहित 350 गुणा 200 फुट का पट्टा सं. 137 दिनांक 02.10.1981 को प्रार्थी दलित वर्ग संघ छात्रावास, अध्यक्ष शिव के नाम से जारी किया गया है, तत्समय पूरे भूखण्ड 350 गुणा 200 वर्गफुट पर दलित वर्ग संघ छात्रावास का स्वामित्व एवं आधिपत्य निरन्तर निर्बाध रूप से चला आ रहा है। इस भूखण्ड पर अनुसूचित जाति के सदस्यों हेतु छात्रावास निर्मित था जो विगत भारी वर्षात व बाढ़ के कारण धराशायी हो चुका है, इसके अलावा इस भूखण्ड पर वर्ष 2005 मे सामुदायिक सभा भवन अम्बेडकर शिक्षण संस्थान, वृद्धों के लिये

आश्रम व छात्रों के लिये 40 गुणा 60 फुट भू–भाग पर भवन निर्मित हैं। इस प्रकार स्पष्ट रूप से उक्त 350 गुणा 200 फुट भूखण्ड पर दलित वर्ग संघ का कब्जा होने के बावजूद विवादित भूमि का पट्टा सं. 249 / 2004 अप्रार्थी सं. 1 द्वारा विजय कुमार के पक्ष में जारी किया गया हैं जो पूर्णतया अनाधिकृत एवं अवैध ही नही बल्कि विधि विरूद्ध है तथा प्रार्थी द्वारा उक्त अवैधानिक पट्टे के आधार पर विजय कुमार से विवादित भूमि में से भूखण्ड क्रय किया गया हैं। प्रार्थी का इस विवादित भूखण्ड में कोई विधिक हित–अधिकार नहीं है इस आधार पर प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज योग्य हैं।

4. अप्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि प्रार्थी ने इस निगरानी प्रार्थना पत्र में सर्वथा झूठे एवं कयासी कथन अंकित किये हैं तथा उल्लेख किया हैं कि आलौच्य पट्टा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157ख के तहत जारी किया गया हैं जबकि आलौच्य पट्टा सं. 137 दिनांक 02.10.1981 में जारी किया गया हैं। इस प्रकार प्रार्थी के कथन अप्रासंगिक एवं असम्बद्ध होना प्रतीत होते हैं। अप्रार्थी सं. 2 दलित वर्ग संघ के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 137 सही है जिसकी पुष्टि उपखण्ड मजिस्ट्रेट शिव मे संस्थित प्रकरण सं. 125 / 1996 अन्तर्गत धारा 145 सीआरपीसी दिनांक 14.08.2003 निर्णय हो चुका हैं तथा कब्जा अप्रार्थी दलित वर्ग संघ को सुपुर्द किया जा चुका हैं। निगरानीकर्ता उच्च वर्ग का सदस्य हैं दलित वर्ग की पट्टाशुद जमीन हड़पने व दलित वर्ग को नाहक परेशान करने व अवांछित दबाव बनाने व खर्चे से जेरबार करने की बदनियती से यह निगरानी पेश की गई हैं जो बतौर खर्चा–हर्जा 10000 / – रूपये निगरानीकर्ता से प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अतः प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष को सुना। प्रार्थी प्रार्थना पत्र दिनांक 29.08.2018 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की ओर से दलित वर्ग संघ, छात्रावास शिव के पट्टा सं. 137 दिनांक 02.10.1981 के विरूद्ध प्रस्तुत यह निगरानी प्रस्तुत की गई हैं किन्तु प्रार्थी विधि एवं विधिक प्रावधानों में पूर्ण विश्वास करता हैं तथा प्रकरण में अब तक हुए जांच एवं विचारण पश्चात प्रार्थी को इस तथ्य का भली–भाँति समाधान हो गया हैं कि विवादित भूमि पर प्रार्थी का कोई हक–स्वामित्व नहीं है तथा प्रार्थी यह निगरानी प्रार्थना पत्र इसी प्रक्रम मे अप्रतिसंहरनीय रूप से वापिस लेता हैं जिसे जरिये विड्रा खारिज फरमाई जावें। अप्रार्थी सं. 2 की ओर से अधिवक्ता ने प्रकट किया कि विवादित भूमि का पट्टा प्रार्थी के पक्ष में वर्ष 1981 में ग्राम पंचायत शिव द्वारा जारी किया गया था जिस पर पुनः एक

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर बाड़मेर

पट्टा विजय कुमार नामक व्यक्ति के पक्ष में दिया गया पट्टा सं. 249 / 04 गलत एवं विधि विरूद्ध जारी किया गया हैं, क्योंकि उक्त भूमि पर अप्रार्थी सं. 2 का ही कब्जा है। इस सम्बन्ध में तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका कब्जा की रिपोर्ट दिनांक 25.06.2018 का अवलोकन करने से पाया जाता हैं कि आक्षेपित पट्टा की भूमि मौके पर खाली है, किसी प्रकार का निर्माण नहीं है तथा उक्त भूमि पट्टाधारक श्री विजय कुमार के द्वारा श्री आईदानसिंह वल्द लक्ष्मणसिंह को बेचान की गई हैं। उक्त भूमि के पश्चिम में नेशनल हाईवे 68, उत्तर दिशा मे होली का प्लॉट, पूर्व में लूणकरण वगैरह की खातेदारी भूमि स्थिति हैं। इसके अलावा फौजदारी प्रकरण सं. 125 / 96 सरकार बनाम सुआ देवी के संदर्भ में उपखण्ड मजिस्ट्रेट, शिव की रिपोर्ट दिनांक 27.09.2013 में यह बताया गया हैं कि राजीनामा के पक्षकार विजय कुमार द्वारा शपथ पत्र के द्वारा अंकित किया हैं कि विवादित भूमि दलित वर्ग संघ की हैं जिसके खसरा नम्बर 250 पर प्रार्थी विजय कुमार का किसी प्रकार का अधिकार नही हैं तथा मौके पर भूमि का कब्जा दलित वर्ग संघ को सुपुर्द कर दिया हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर विवादित भूमि के मौके पर कब्जा दलित वर्ग संघ का होने का तथ्य पुख्ता हो जाता हैं। इसी प्रकार सिविल वाद सं. 41 / 2011 व 42 / 2001 आईदानसिंह में आईदानसिंह के संदर्भ में मौका रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की गई है जिसके बिन्दु सं. 5 अंकित किया हैं कि उक्त सम्पूर्ण भूखण्ड मार्क "ए ई जे एम ए" पर मेघवाल समाज का कब्जा है एवं इसी के बिन्दु सं 3 में अंकित हैं कि आईदानसिंह ने इसमे से मार्क "ओ क्यू आर एन ओ" अपना बताया था। इससे स्पष्ट हैं कि उक्त आलौच्य पट्टा की भूमि पुराने पट्टा सं. 137 की भूमि का हिस्सा थी जिसके बारे में स्वंय आईदानसिंह ने स्वीकार कर अपना दावा विड्रॉ किया हैं। विजय कुमार ने प्रार्थी आईदानसिंह व शम्भुसिंह को बेचान की गई हैं तथा उक्त दोनो ने ही लिखित रूप से स्वीकार किया हैं कि विवादित भूमि प्रार्थी दलित वर्ग संघ हैं जिस पर वे अपना दावा विड्रॉ करते हैं। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र अपने सम्पूर्ण समाधान पश्चात विड्रा कर लिया हैं तथा उपखण्ड न्यायालय द्वारा भी फौजदारी प्रकरण में जांच उपरांत भूमि का कब्जा अप्रार्थी सं. 2 दलित वर्ग संघ को सुपुर्द किया गया हैं, ऐसे में आलौच्य पट्टा सं. 137 दिनांक 02.10.1981 के विरूद्ध यह निगरानी प्रार्थना पत्र जरिये विड्रॉ खारिज योग्य प्रतीत होती हैं।

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र जांच एवं परीक्षण उपरांत खारिज किया जाता हैं। अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत शिव द्वारा अप्रार्थी सं. 2

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर बाड़मेर

के पक्ष मे जारी आलौच्य पट्टा विलेख सं. 137 दिनांक 02.10.1981 यथावत बहाल रखा जाता हैं।

7. निर्णय आज दिनांक 27.11.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(अंशदीप)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2019.11.28 15:34:08 IST
Reason: SelfAttested
Location: